55

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 616–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–2017 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला देवास प्रकरण कमांक 06/स्व.निगरानी/2016–17.

संतोष पिता बोंदर (नाई)
निवासी ग्राम बाईजगनवाड़ा
तहसील सतवास जिला देवास .....आवेदक

विरूद्ध

1– रामेश्वर पिता मोजीराम
निवासी ग्राम बाईजगनवाड़ा
तहसील सतवास जिला देवास
2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश
जिलाधीश कार्यालय देवास
3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
तहसील कन्नौद जिला देवास म.प्र .....अनावेदकगण

श्री ए.आर. यादव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद जिला देवास द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–55/2016–17 दर्ज कर दिनांक 27–12–2016 को आदेश पारित कर ग्राम जगनवाड़ा के पटेल पद पर आवेदक संतोष की नियुक्ति की गई । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त प्रकरण को कलेक्टर, जिला देवास द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 16–1–2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का

आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि ग्राम बाईजगनवाड़ा के रिक्त पटेल के पद पर संहिता की धारा 222 के अन्तर्गत विधि अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर इच्छुक पदाभिलाषियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के पश्चात विधिसम्मत आदेश पारित किया जाये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 222 के अंतर्गत पटेल की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाती है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के शक्तियों का उपयोग करते हुए ही आवेदक की नियुक्ति कलेक्टर पद पर की गई है, फिर भी कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 222 के प्रावधानों का पालन करते हुए तहसील न्यायालय के प्रतिवेदन से सहमत होकर आवेदक की नियुक्ति पटेल के पद पर की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है ।

(3) कलेक्टर द्वारा शिकायत के आधार पर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया है, और आवेदन पत्र आमंत्रित कर आवेदक की पटेल पद पर नियुक्ति की गई है, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 के पिता 50 वर्षों से ग्राम पटेल रहे हैं, और उनकी मृत्यु पश्चात अनावेदक कमांक 1 द्वारा ही वसूली का कार्य करता आ रहा था, इसके बावजूद भी उसकी नियुक्ति पटेल पद पर नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना उद्घोषणा जारी किये, और बिना आवेदन पत्र आमंत्रित किये आवेदक की नियुक्ति करने में विधि की गम्भीर भूल की गई थी, इसलिए उनका आदेश निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) कलेक्टर द्वारा विधिवत उद्घोषणा जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटेल की नियुक्ति करने में न तो विधि अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया है, और न ही इच्छुक पदाभिलाषियों के आवेदन पत्र ही आमंत्रित किये गये हैं । कलेक्टर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष से परिलक्षित होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम पटेल की नियुक्ति नियमानुसार नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए संहिता की धारा 222 के तहत विधि अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर इच्छुक पदाभिलाषियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाकर विधि अनुसार आदेश पारित करने के निर्देश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर